रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 396] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 17, 2015/माघ 28, 1936
No. 396] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 17, 2015/MAGHA 28, 1936

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2015

का.आ. 556(अ).—भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 का और संशोधन करने के लिए, प्रारूप अधिसूचना (जिसे इसमें इसके पश्चात् तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 कहा गया है) पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3202(अ), तारीख 11 दिसम्बर, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां, तारीख 11 दिसंबर, 2014 को जनता को उपलब्ध करवा दी गई थी;

और, केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया गया है ।

अत:, अब, केंद्रीय सरकार उक्त पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

उक्त तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 में,—

(क) पैरा 3 में,--

(i) मद (ix) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(ix) अपवादिक मामलों में, केवल सी.आर.जेड. iv क्षेत्र में, स्मारकों/संस्मारकों के सन्निर्माण के और, मामला-दर-मामला आधार पर, संबंधित राज्य सरकार द्वारा सहबद्ध सुविधाओं के सिवाय, शापिंग और आवासीय परिक्षेत्र, होटल और मनोरंजन संबंधी क्रियाकलाप जैसे वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पुनरूद्धार ;";

(ii) मद (xiii) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(xiii) स्मारकों/संस्मारकों के विकास और संबंधित राज्य सरकार द्वारा सहबद्ध सुविधाओं के विकास के लिए, केवल सी.आर.जेड. iv क्षेत्र में, चट्टानों/पहाड़ियों/प्राकृतिक भू-दृश्यों के उपयोग के सिवाय, बलुई टीलों, पहाड़ियों, प्राकृतिक भू-दृश्यों, जिसके अंतर्गत सुन्दरीकरण, आमोद-प्रमोद और अन्य ऐसे प्रयोजन भी हैं, की सजावट या परिवर्तन ;";

(ख) पैरा 4 के उपपैरा (ii) में, मद (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(ञ) अपवादिक मामलों में, सी.आर.जेड़.- iv (ए) क्षेत्रों में संबद्ध राज्य सरकार द्वारा स्मारकों/ संस्मारकों और सहबद्ध सुविधाओं का पर्याप्त पर्यावरणीय रक्षोपायों के साथ निम्नलिखित के अधीन रहते हुए सन्निमाण र्माण, अर्थात् :—

(अ) संबद्ध राज्य सरकार, सी.आर.जेड़. iv (ए) क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने के लिए तर्कसंगतता, ऐसे वैकल्पिक ब्यौरों के साथ, जो विभिन्न पैरामीटरों के आधार पर, जिसके अंतर्गत पर्यावरणीय पैरामीटर भी है, और महत्वपूर्ण मैट्रिक्स पर आधारित वैकल्पिक स्थलों के ब्यौरों के साथ, राज्य तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा, जो परियोजना की परीक्षा करेगा, और राज्य सरकार द्वारा पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट तैयार करने हेतु निर्देश निबंधन अभिप्राप्त करने के लिए केंद्रीय सरकार (पर्यावरण और वन मंत्रालय) को सिफारिश करेगा ;

(आ) केंद्रीय सरकार द्वारा निर्देश निबंधन मंजूर किए जाने पर संबंधित राज्य सरकार, पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तावित परियोजना के लिए सार्वजनिक सुनवाई करने हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पर्यावरणीय प्रबंधन योजना सहित प्रारूप, पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट, आपदा प्रबंधन योजना सहित प्रारूप जोखिम निर्धारण रिपोर्ट, जिसके अंतर्गत आपात काल के दौरान ऑन साइट और ऑफ साइट आपातकालीन योजना और निष्क्रमण भी है, प्रस्तुत करेगी ;

(इ) संबद्ध राज्य सरकार, राज्य तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण को, उपमद (आ) में निर्दिष्ट सार्वजनिक सुनवाई के दौरान जनता द्वारा उठाए गए सुसंगत मुद्दों पर निवेदन करने के पश्चात् अंतिम पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट, पर्यावरणीय प्रबंधन योजना, जोखिम निर्धारण रिपोर्ट और आपदा प्रबंधन योजना, उनके द्वारा परीक्षा करने के लिए और पर्यावरण और वन मंत्रालय को सिफारिश करने के लिए, प्रस्तुत करेगी ;

(ई) केंद्रीय सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि परियोजना में जनता का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अंतर्वलित नहीं है या परियोजना स्थल मानव आवास से दूर अवस्थित है तो यदि ऐसा करना आवश्यक समझे, उपमद (आ) में निर्दिष्ट सार्वजनिक सुनवाई की अपेक्षा को अभिमुक्त कर सकेगी ।"।

[फा. सं. जे-17011/18/96-आई.ए.-III]

बिश्वनाथ सिन्हा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें का.आ. 3085(अ), तारीख 28 नवंबर, 2014 को पश्चात्वर्ती परिवर्तन किए गए थे ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2015

S.O. 556(E).—Whereas, a draft notification further to amend the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number. S O. 19(E), dated the 6th January, 2011 (hereinafter referred to as the Coastal Regulation Zone, notification, 2011) was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 3202(E) dated the 11th December, 2014, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of sixty days from the date on which copies of Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 11th December, 2014;

And whereas, objections and suggestions received in response to the said draft notification have been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the said Environment (Protection) Act, (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the said Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the Coastal Regulation Zone notification, 2011, namely:—

In the said Coastal Regulation Zone, notification, 2011,—

(a) in paragraph 3,-

(i) for item (ix) , the following item shall be substituted, namely:—

"(ix) Reclamation for commercial purposes such as shopping and housing complexes, hotels and entertainment activities except for construction of memorials/monuments and allied facilities, only in CRZ-IV (A) areas, in exceptional cases, by the concerned State Government, on a case to case basis;"

(ii) for item (xiii), the following item shall be substituted, namely:—

"(xiii) Dressing or altering the sand dunes, hills, natural features including landscape change for beautification, recreation and other such purpose except utilising the rocks/hills/natural features, only in CRZ-IV (A) areas, for development of memorials/monuments and allied facilities, by the concerned State Government;"

(b) in paragraph 4, in sub-paragraph (ii), after item (i) the following item shall be inserted, namely :-

"(j) Construction of memorials/monuments and allied facilities by the concerned State Government in CRZ-IV (A) areas, in exceptional cases, with adequate environmental safeguards, subject to the following, namely:—

(A) The concerned State Government shall submit justification for locating the project in CRZ –IV (A) area along with details of alternate sites considered and weightage matrix on various parameters including environmental parameters, to State CZMA who will examine the project and make recommendation to the Central Government (MoEF) for grant of Terms of Reference (ToRs) for preparation of an environmental impact assessment report by the State Government;

(B) On grant of ToRs by the Central Government, the concerned State Government shall submit the draft Environmental Impact Assessment report (EIA) with Environmental Management Plan(EMP), draft Risk Assessment Report with Disaster Management Plan (DMP) including on-site and off-site emergency plan and evacuation plan during emergency, to the State Pollution Control Board for conduct of public hearing for the

proposed project in accordance with the procedure laid down under the Environment Impact Assessment notification;

(C) The concerned State Government shall, after addressing the relevant issues raised by the public during the public hearing referred to in sub-item (B), submit the final EIA, EMP, Risk Assessment and DMP, to the State CZMA for their examination and recommendation to MoEF;"

(D) The Central Government may, if it considers necessary so to do, dispense with the requirement of public hearing referred to in sub-item (B), if it is satisfied that the project will not involve rehabilitation and resettlement of the public or the project site is located away from human habitation.

[F. No. J-17011/18/96-IA-III]

BISHWANATH SINHA, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), *vide* number S.O 19(E), dated the 6th January, 2011 and subsequently vide notification number S.O. 3085(E), dated the 28th November, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.